**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3103**
**05.01.2018 को उत्तर के लिए**

**ई-अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र**

**3103. श्री ओम बिरला:**
**श्री महेश गिरी:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) के प्रबंधन हेतु समर्पित योजना को लागू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ई-अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों का मूल्यांकन करने संबंधी सर्वेक्षण किया है;
(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विद्यमान संग्रहण केंद्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक अतिरिक्त संग्रहण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन करने वाले सभी उत्पादकों तथा विनिर्माताओं के लिए ई-अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों की स्थापना को अनिवार्य करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा ई-अपशिष्ट के सुगम संग्रहण तथा निपटान हेतु ई-अपशिष्ट बिन्स को स्थापित करने तथा विभिन्न शहरों में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(डॉ महेश शर्मा)**

(क) इस मंत्रालय ने 23 मार्च, 2016 को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में ई-अपशिष्ट के एकत्रण तथा इसे उपयोक्ताओं से प्राधिकृत भंजको तथा पुनर्चक्रकों तक पहुंचाने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर); इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बड़े उपयोक्ताओं को इसके सुरक्षित निपटान के दायित्व; इलेक्ट्रॉनिक ई-अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले विनिर्माताओं को इसके पुनर्चक्रण तथा निपटान के लिए सही स्थान पर पहुंचाने के दायित्व; एकत्रण केन्द्रों, व्यापारियों, पुन:सज्जको, बड़े उपयोक्ताओं, भंजको, पुनर्चक्रकों तथा राज्यों सरकारों के दायित्व के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन नियमों में ई-अपशिष्ट के सुरक्षित परिवहन तथा ई-अपशिष्ट प्रबंधकर्ताओं की दुर्घटना के संबंध में सूचना प्रदान करने पर भी बल दिया गया है। इन नियमों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) के आधार पर एकल प्राधिकार के माध्यम से भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए सरलीकृत अनुमति प्रक्रिया का प्रावधान भी किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने गत दो वर्षों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ई-अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों का मूल्यांकन करने संबंधी सर्वेक्षण नहीं किया है तथा देश में ई-अपशिष्ट उत्पादन का व्यापक सूचीकरण नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2005 में देश में 1.47 लाख टन ई-अपशिष्ट

उत्पादन का अनुमान लगाया तथा वर्ष 2010 में 8.0 लाख टन ई-अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान लगाया था। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय रिपोर्ट ''द ग्लोबल ई-वेस्ट मानीटर 2014'' के अनुसार, वर्ष 2014 में देश में 17 लाख टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था।

(घ) और (ड.) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में, अन्य बातों के साथ-साथ, इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उत्पादकों के लिए ई-अपशिष्ट एकत्रण लक्ष्य निर्धारित करना अनिवार्य बनाया गया है। ई-अपशिष्ट एकत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उत्पादक संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग या तो एकत्रण केन्द्र स्थापित करे, उत्पादक दायित्व संगठन स्थापित करे, डिपोजिट रिफंड स्कीम शुरू करें अथवा ई-अपशिष्ट के एकत्रण तथा पुनर्चक्रण को सुकर बनाने के लिए ई-अपशिष्ट विनिमय सुविधा स्थापित करें। इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रानिक उपकरणों के विनिर्माताओं को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट को एकत्रित करके उसे पुनर्चक्रकों अथवा निपटानकर्ताओं तक पहुंचाना होता है। ईपीआर के अंतर्गत बनाए गए नियमों में उपयोक्ताओं से ई-अपशिष्ट के एकत्रण के लिए उत्पादकों द्वारा एकत्रण कार्यतंत्र स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है।

*******